

संशोधित कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या 3276/एक -10-2018-12(34)/03 टी0सी0-1 दिनांक 26 नवम्बर 2018 द्वारा शीतलहरी से निराश्रित, असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु क्रय किये जाने वाले कम्बलों के लिए आमंत्रित ई-निविदा से छूट प्रदान की गयी है। इस कार्यालय के पत्रांक 1963 (1)/सी0आर0ए0-दौ0आ0 दिनांक 27 नवम्बर 2018 द्वारा आमंत्रित ई-निविदा से छूट प्रदान करते हुए शासनादेश के क्रम में शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम लि0, यूपिका, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाएं श्री गाँधी आश्रम तथा उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम से पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार नियत तिथि 05.12.2018 को समय 2.00 बजे कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में कम्बल क्रय समिति की बैठक आहूत की गयी है।

(मनोज)

अपर जिलाधिकारी (वि/रा0)
प्रतापगढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रतापगढ़

पत्र संख्या-1967/सी0आर0ए0-दौ0आ0-2018

दिनांक 30 नवम्बर 2018

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-क्रय समिति के सदस्यों को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
- 2-समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु।
- 3-नाजिर सदर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 4-जिला सूचना अधिकारी प्रतापगढ़ को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
- 5-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी प्रतापगढ़ को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

अपर जिलाधिकारी (वि/रा0)
प्रतापगढ़।